संख्या : 350/चौवालिस–2-26/91

प्रेषक,

डा० विजय कृष्ण मक्सेना.
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शासन के समस्त सचिव।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्क्ष।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशसी संस्थाओं से सम्बन्धित समस्त मुख्य कार्यकारी/प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 1991

विषय :– शासन के प्रशासकीय विभागों के सचिवों द्वारा वाहनों के प्रयोग में मितव्ययिता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे सूचित करना है कि विभागीय सचिवों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के वाहनों के प्रयोग के सम्बन्ध में मितव्ययिता के उद्देश्य के शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

(1) प्रशासनिक विभाग के सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे। जहां राज्य सम्पत्ति विभाग या सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्टाफ कार उपलब्ध कराई गई है, उन विभागों में सचिवों द्वारा विभागगध्यक्ष संगठनों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की गाड़ियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा भले ही वे अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों में अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य का कार्यभार भी संभाले हुए हों। अपवाद स्वरूप जहां अत्यावश्यक हो उपक्रम/निगम आदि के कार्य विशेष हेतु सचिव द्वारा उसके वाहन का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु ऐसे वाहन को सचिव एवं अध्यक्ष /निदेशक से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

(2) जिन विभागों में राज्य सम्पत्ति विभाग/सचिवालय प्रिशासन विभाग या विभागाध्यक्ष संगठन से सचिव को वाहन आवंटितनहीं है, उन विभागों में उपक्रमों/निगमों आदि के अध्यक्ष या निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में कार्य करने की दशा में विभागीय सचिव एक से अधिक उपक्रम/निगम के अध्यक्ष/निदेशक हैं तब भी केवल एक वाहन ही सम्बद्ध किया जा सकेगा।

(3) सचिव द्वारा उपक्रम/निगम आदि के सम्बद्ध वाहन को अवमुक्त किये जाने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा निगम में उपलब्ध समस्त वाहनों के प्रयोग की स्थिति की गहन समीक्षा की जायेगी और मितव्ययिता के उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए वाहनों की संख्या को सीमित किया जायेगा।

(4) सचिवालय के अन्य अधिकारी यथा विशेष सचिव, संयुक्त सचिव आदि के साथ भी उपक्रमों/निगमों आदि के वाहन सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ संगठनों के वाहनों के प्रयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित उक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
[डा० विजय कृष्ण सक्सेना]
मुख्य सचिव।

संख्या 350(1)/चौवालिस–2-26/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हुते प्रेषित।

आज्ञा से,
[प्रेम शंकर]
विशेष सचिव।